BIHAR MAINS LAW OF EVIDENCE PAPER 2017

Law of Evidence and Procedure [साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि]

Time Allowed: 3 hours
समय : 3 घण्टे

Maximum Marks: 150
पूर्णांक: 150

Marks are indicated against each question
प्रत्येक प्रश्न के अंक अंत में दिए गए हैं

Answer six questions, taking two from Group—A, two from Group—B and one each from Group—C and Group—D
खण्ड—क से दो, खण्ड—ख से दो और खण्ड—ग तथा खण्ड—घ से एक-एक लेते हुए कुल छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

Group—A [खण्ड—क]

1. (a) Write notes on the following: 15
निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:
(i) Degree in a Civil Suit/सिविल सूट में डिग्री
(ii) Execution Proceedings/निष्पादन कार्यवाही

(b) Explain the principle of res subjudice and its utility in civil adjudications. 15
सिविल अधिनिर्णय में फिर से न्यायाधीन के सिद्धांत तथा इसकी उपयोगिता समझाइए।

2. (a) Explain the relevancy of foreign judgements in Indian Courts. Can we implement the foreign judgements? State the conditions in the light of the Civil Procedure Code, 1908. 15
भारतीय न्यायालयों में विदेशी निर्णयों की प्रासंगिकता समझाइए। क्या हम विदेशी निर्णयों को लागू कर सकते हैं? सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के सन्दर्भ में शर्त व स्थिति समझाइए।

(b) Write notes on the following: 15
निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:
(i) Discovery and inspection (related to documents)
खोज व निरीक्षण (दस्तावेजों से सम्बन्धित)
(ii) Inspection by commissions
आयोगों द्वारा निरीक्षण

3. (a) Explain the necessity of legal notice under Section 80 of the Civil Procedure Code, 1908 in the following: 15
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 80 के अंतर्गत निम्नलिखित में लीगल नोटिस की अनिवार्यता समझाइए:
(i) Civil suits/सिविल सूट

(ii) Writ jurisdictions, if any/रिट अधिकार-क्षेत्र, यदि कोई हो

(b) Write notes on the following: 15

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:

(i) A list of orders, which is appealable
आदेश की सूची जो कि अपीलीय है

(ii) Amendment of degree and its necessity
डिग्री का संशोधन और उसकी अनिवार्यता

Group—B [खण्ड—ख]

4. (a) Explain the difference between relevant facts and relevancy of facts by citing illustrations under the provisions of the Indian Evidence Act, 1872. 15

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रासंगिक तथ्यों और तथ्यों की प्रासंगिकता में उदाहरणों का हवाला देते हुए अन्तर समझाइए।

(b) Write notes on the foliowing: 10

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:

(i) Doctrine of res gestae/रेस गेसटी का सिद्धांत

(ii) Doctrine of circumstances of transactions
लेन-देन की परिस्थितियों के सिद्धांत

5. (a) Explain about the 'otherwise relevant facts' and their utility for criminal adjudications. 15

'अन्यथा प्रासंगिक तथ्यों' की व्याख्या कीजिए और आपराधिक न्याय निर्णयन के लिए इसकी उपयोगिता समझाइए।

(b) How far fact of 'bad character' is relevant to show the probability to commit crime? Explain in the light of Sections 14 and 54 of the Indian Evidence Act, 1872. 10

अपराध करने की सम्भावना दिखाने के लिए 'बुरे चरित्र' का तथ्य कहाँ तक प्रासंगिक है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 14 एवं 54 के प्रकाश में समझाइए।

6. (a) Write notes on the following: 15

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:

(i) Exclusion of oral evidence to prove documents
दस्तावेजों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य का बहिष्कार

(ii) Burden of proof as a matter of fact in criminal cases
सबूत के बोझ (BoP) आपराधिक मामलों में तथ्य की बात के रूप में

(b) Explain in the light of Section 112 of the Indian Evidence Act, 1872 about the parentage and legitimacy of child. Is DNA test is permissible? 10

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 के अंतर्गत पितृत्व और बच्चे की वैधता के सम्बन्ध में समझाइए। क्या डी॰ एन॰ ए॰ परीक्षण की अनुमति है?

Group—C [खण्ड—ग]

7. (a) Write notes on the following: 10

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:

(i) Arbitral proceedings/मध्यस्थ कार्यवाही

(ii) Conciliation proceedings/सुलह के लिए बातचीत

(b) Mention the conditions and circumstances by analyzing the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, when Arbitral Award can be implemented by the Court. 10

स्थितियों और परिस्थितियों का उल्लेख व मध्यस्थता और सुलह ऐक्ट, 1996 के प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए बताइए कि कब न्यायालय द्वारा पंचाट (Arbitral Award) लागू किया जा सकता है।

8. (a) Write notes on the following: 10

निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए:

(i) Geneva Convention (Arbitration Award)
जिनेवा कॉन्वेंशन (पंचाट)

(ii) New York Convention (Arbitration Award)
न्यूयॉर्क कॉन्वेंशन (पंचाट)

(b) (i) Mention the qualifications of arbitrator in case of International Arbitral Proceedings.
अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ कार्यवाही के लिए पंच की योग्यताओं का उल्लेख कीजिए।

(ii) What is the difference between arbitration and mediation? 10
मध्यस्थ और मध्यस्थता के बीच का अन्तर क्या है?

Group—D [खण्ड—घ]

9. (a) Explain the procedure of complaint cases. Under what circumstances/conditions, complaint case and FIR case are clubbed? 10

शिकायत के मामलों की प्रक्रिया समझाइए। किन परिस्थितियों/शर्तों में शिकायत के मामले एवं FIR मामले संयोजित किए जाते हैं?

(b) Whether registration of FIR is mandatory under the provisions

of the Criminal Procedure Code, 1973? If yes, justify your answer by analyzing the provisions. 10

क्या क्रिमिनल प्रक्रिया कोड, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज (registration of FIR) करना अनिवार्य है? अगर हाँ, तो प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए अपने उत्तर का औचित्य दीजिए।

10. (a) Explain the procedure of Session Trial step-by-step by citing and analyzing the relevant provisions of the Criminal Procedure Code, 1973. 10

क्रिमिनल प्रक्रिया कोड, 1973 की प्रासंगिक धाराओं का हवाला देते हुए और विश्लेषण करते हुए क्रमिक रूप से सत्र परीक्षण (Session Trial) की प्रक्रिया को समझाइए।

(b) Analyze the object and purpose of the Provincial Small Causes Courts Act, 1887 with rationality. Explain the utility of the Act in the present scenario for adjudications. 10

प्रांतीय छोटे कारणों व अदालतों में कार्य अधिनियम, 1887 के उद्देश्य व चेतना का तार्किकता के साथ विश्लेषण कीजिए। अधिनियम की वर्तमान परिदृश्य में न्यायिक निर्णय के लिए क्या उपयोगिता है, समझाइए।